सत्यमेव जयते	राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	कार्तिक 9, शनिवार, शाके 1942- अक्टूबर 31, 2020 *Kartika 9, Saturday , Saka 1942- October 31, 2020*	

भाग 3(क)

राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत करने से
पूर्व प्रकाशित किये गये विधेयक।

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 31, 2020

संख्या **एफ. 13(35)विशा/विस/2020 :-**राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 जैसा कि दिनांक 31 अक्टूबर, 2020 को राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया गया,सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्रमिल कुमार माथुर,
सचिव।

2020 का विधेयक **सं.35**

राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020
(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया गया)

राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2010 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 24 का संशोधन.- राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम सं. 13), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 24 में,-

(i) विद्यमान उप-धारा (2) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (3) से पूर्व, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(2-क) खोजबीन समिति, कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए कम से कम तीन व्यक्तियों का और अधिकतम पांच व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करेगी और उसकी सिफारिश करेगी।

(2-ख) कुलपति के चयन के प्रयोजन के लिए खोजबीन समिति, लोक सूचना के माध्यम से पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करेगी और कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए व्यक्तियों के नाम पर विचार करते समय खोजबीन समिति, शैक्षणिक उत्कृष्टता, देश में उच्चतर शिक्षा प्रणाली में प्रदर्शन और शैक्षणिक तथा प्रशासनिक शासन में पर्याप्त अनुभव को उचित महत्व देगी और अपने निष्कर्षों को लेखबद्ध करेगी और उन्हें कुलाधिपति को प्रस्तुत किये जाने के लिए पैनल के साथ संलग्न करेगी।"; और

(ii) विद्यमान उप-धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(3) कोई भी व्यक्ति, कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह, भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 52) में यथापरिभाषित मान्यताप्राप्त पशुचिकित्सा अर्हता रखने वाला और किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में आचार्य के रूप में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाला या किसी प्रतिष्ठित शोध और/या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में किसी समकक्ष पद पर, शैक्षणिक उत्कृष्टता और नेतृत्व के गुण प्रदर्शित करने के सबूत सहित दस वर्ष का अनुभव रखने वाला, जिसमें से कम-से-कम तीन वर्ष का अनुभव देश में के किसी विश्वविद्यालय के संकाय के अध्यक्ष या संकायाध्यक्ष अथवा किसी महाविद्यालय के संकायाध्यक्ष या प्राचार्य के रूप में होना चाहिए, और सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिक आचार और संस्थानिक प्रतिबद्धता के उच्चतम स्तर वाला, पशुचिकित्सा और पशुविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में कोई प्रख्यात शिक्षाविद् न हो।"।

3. 2010 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 में नयी धारा 24-क का अंत:स्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 24 के पश्चात् और विद्यमान धारा 25 से पूर्व, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**24-क. कुलपति का हटाया जाना.**- (1) यदि कुलाधिपति की राय में, कुलपति इस अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन करने में जानबूझकर लोप या इंकार करता है या उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है, या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत होता है कि कुलपति का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हित के लिए हानिकर है तो कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह उचित समझे, आदेश द्वारा, कुलपति को हटा सकेगा:

परन्तु कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, ऐसा आदेश करने से पूर्व जांच लम्बित रहने के दौरान, कुलपति को किसी भी समय निलंबित कर सकेगा:

परन्तु यह और कि कुलाधिपति द्वारा कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि कुलपति को उसके विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया हो।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी जांच के लंबित रहने के दौरान या उसको ध्यान में रखते हुए कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, यह आदेश दे सकेगा कि अगले आदेश तक-

(क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कृत्यों का पालन करने से विरत रहेगा, किन्तु वह उन परिलब्धियों को प्राप्त करता रहेगा जिनका वह अन्यथा हकदार था;

(ख) कुलपति के पद के कृत्यों का पालन आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2010 के उपबंधों को अंगीकार करने के लिए मंजूरी दी थी। तत्पश्चात् इन विनियमों में वर्ष 2013 और 2018 में संशोधन किये गये।

कुलपति के अनुभव और चयन प्रक्रिया के संबंध में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्यापकों एवं अन्य अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता एवं उच्च शिक्षा के मानकों के अनुरक्षण के उपाय) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2013 के खण्ड 7.3.0 को, और कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति द्वारा सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिक आचार और संस्थानिक प्रतिबद्धता के उच्चतम स्तर धारण करने के संबंध में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्यापकों एवं अन्य अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता एवं उच्च शिक्षा के मानकों के अनुरक्षण के उपाय) विनियम, 2018 के खण्ड 7.3 को, प्रभावी करने के लिए उससे संबंधित उपबंधों को राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 में सम्मिलित किया जाना समुचित समझा गया है। इसके अतिरिक्त, यदि किसी अभूतपूर्व स्थिति में कुलपति को उसकी पदावधि की समाप्ति से पूर्व हटाया जाना आवश्यक हो तो उसको हटाये जाने का कोई उपबंध पूर्वोक्त अधिनियम में नहीं है। इसलिए, कुलपति को हटाये जाने से संबंधित उपबंध को भी सम्मिलित किया जाना अपेक्षित है।

तदनुसार, पूर्वोक्त अधिनियम को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

लालचंद कटारिया,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया)

प्रमिल कुमार माथुर,
सचिव।

Bill No.35 of 2020

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES (AMENDMENT) BILL, 2020

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences Act, 2010.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-first Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.-(1) This Act may be called the Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences (Amendment) Act, 2020.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 24, Rajasthan Act No. 13 of 2010.- In section 24 of the Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences Act, 2010 (Act No. 13 of 2010), hereinafter referred to as the principal Act,-

(i) after the existing sub-section (2) and before the existing sub-section (3), the following shall be inserted, namely:-

"(2-A) The Search Committee shall prepare and recommend a panel of not less than three persons and not more than five persons to be appointed as Vice-Chancellor.

(2-B) For the purpose of selection of the Vice-Chancellor, the Search Committee shall invite applications from eligible persons through a public notice and while considering the names of persons to be appointed as Vice-Chancellor, the Search Committee shall give proper weightage to academic excellence, exposure to the higher education system in the country and adequate experience in academic and administrative governance and record its findings in writing and enclose the same with the panel to be submitted to the Chancellor.";and

(ii) for the existing sub-section (3), the following shall be substituted, namely:-

"(3) No person shall be eligible to be appointed as Vice-Chancellor unless he is, a distinguished academician in the field of veterinary and animal sciences education having a recognised veterinary qualification as defined in the Indian Veterinary Council Act, 1984 (Central Act No. 52 of 1984) and a minimum of ten years experience as Professor in a University or college or ten years experience in an equivalent position in a reputed research and/or academic administrative organization with proof of academic excellence and demonstrated leadership qualities out of which, at least three years of experience should be as Chairperson or Dean of Faculty of any University or Dean or Principal of any college in the country and, of a highest level of competence, integrity, morals, and institutional commitment.".

3. Insertion of new section 24-A, Rajasthan Act No. 13 of 2010.- After the existing section 24 and before the existing section 25 of the principal Act, the following shall be inserted, namely:-

"24-A. Removal of Vice Chancellor.-(1) If in the opinion of the Chancellor, the Vice-Chancellor wilfully omits or refuses to carry out the provisions of this Act or abuses the powers vested in him, or if otherwise appears to the Chancellor that the continuance of the Vice-Chancellor in office is detrimental to the interest of the University, the Chancellor may, in consultation with the State Government, after making such inquiry as he deems proper, by order, remove the Vice-Chancellor:

Provided that the Chancellor may, in consultation with the State Government, at any time before making such order, place the Vice-Chancellor under suspension, pending enquiry:

Provided further that no order shall be made by the Chancellor unless the Vice-Chancellor has been given a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken against him.

(2) During the pendency or in contemplation, of any inquiry referred to in sub-section (1) the Chancellor may, in consultation with the State Government, order that till further order-

(a) such Vice-Chancellor shall refrain from performing the functions of the office of Vice-Chancellor, but shall continue to get the emoluments to which he was otherwise entitled;

(b) the functions of the office of the Vice-Chancellor shall be performed by the person specified in order.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The State Government had given sanction for adoption of the provisions of University Grants Commission Regulations, 2010. Later amendments were made in these Regulations in the Year 2013 and 2018.

In order to give effect to, clause 7.3.0 of the University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) (2nd Amendment) Regulations, 2013 regarding experience and selection procedure of Vice-Chancellor and, clause 7.3 of the University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) Regulations, 2018 regarding possession of highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment by a person to be appointed as Vice-Chancellor, it is considered appropriate to incorporate the provisions relating thereto in the Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences Act, 2010. Moreover, there is no provision for removal of Vice-Chancellor in the aforesaid Act if any unprecedented condition warrants it before the end of his tenure. Therefore, the provision relating to removal of Vice-Chancellor is also required to be included.

Accordingly, the aforesaid Act is proposed to be amended.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

लालचंद कटारिया,
Minister Incharge.

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A
Bill

further to amend the Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences Act, 2010.

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Pramil kumar Mathur,
Secretary.

Government Central Press, Jaipur.